पश्चिम मध्य रेल

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/15.

कार्यालय
महानिरीक्षक–सह–मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक–29.10.2015

सीआई ओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय–माह सितंबर–2015 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त, अभियोजन
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितंबर -2015	42	42	69190	69190	84	00	00

बुकशुदा रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितंबर -2015	01	01	1500	1500	00	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितंबर -2015	43	43	70690	70690	84	00	00

धारा	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि
137	3974	2106526
138	13788	6193119
139	0	0
141	448	224123
142	0	0
143	7	0
144	1669	985540
145	752	99050
146	16	10200
147	516	112300
153	1	0
154	10	16500
155	1005	106720
156	320	33900
157	0	0
159	674	130700
160	11	14500
161	0	0
162	555	49850
163	0	0
164	1	500
165	1	0
166	0	0
167	25	2650
172	2	0
173	0	0
174	11	61700
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**23,786**	**1,01,47,878**

रेल अधिनियम के तहत माह सितंबर 2015 में की गई कार्यवाही का विवरण

रे.सु.ब./पमरे द्वारा माह के दौरान किये गये अन्य अच्छे कार्यो का ब्यौरा :–

a. दिनांक 20.09.2015 को गाडी संख्या–12953 (अगस्त क्रान्ति एक्सप्रेस) मे तैनात इस्कोर्टिंग पार्टी प्र0आर0 बालमुकुन्द भार्मा व आर0 धमेन्द्र कुमार के गस्त के दौरान कोटा स्टे ान के पास कोच नं. एस/5 की सीट नं. 13 व 14 पर यात्रा कर रहे यात्री भोखर कुमार अग्रवाल पीएनआर नं. 8739605446 ने बताया कि कोटा स्टे ान पर नींद खुलने पर उसकी पत्नि का एक लेडिज पर्स जिसमें लगभग 1.50 लाख रूपये नगद एवं 1.50 लाख की ज्वैलरी थी जो चोरी हो गया है। सवाईमाधोपुर स्टे ान से गाड़ी रवाना होने के बाद सवाईमाधोपुर से इस्कोर्टिंग हेतु चढे प्र0आर0 वीरी सिंह को कोच नं. ए/1 की सीट नं. 1 पर यात्रा कर रही महिला यात्री एन.बी. रूकमणी ने बताया कि सवाईमाधोपुर में नींद खुलने पर उसका एक लेडिज पर्स जिसमें एक मोबाईल, एक मंगलसूत्र एवं नगद 10000/–रू चोरी हो गया। उक्त घटना के संबंध में इस्कोर्टिंग पार्टी द्वारा चेकिंग करने पर संदिग्ध हालत में पेन्ट्रीकार के दो वेण्डर रामकुमार वर्मा व अनुज कुमार गैलरी में खडे मिले जिनसे पूछताछ करने पर उनकी बांल्टी में उक्त चोरित एक पर्स, 2 मोबाईल मिला। उक्त बरामद सम्पत्ति के साथ दोनो वेण्डरो को उतारकर जीआरपी मथुरा को सुपुर्द किया गया। उक्त दोनो मामलो में जीआरपी मथुरा द्वारा अ0क्र0 091/2015 धारा 380 भादंस दर्ज कर पकडे गये आरोपी सहित जीआरपी कोटा को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया तथा दुसरे मामले में जीआरपी मथुरा द्वारा अ0क्र0 092/2015 धारा 380 भादस दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी सवाईमाधोपुर को भेजा गया।

b. दिनांक 02.09.15 को समय 15.35 बजे मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष रेसुबल भोपाल की सूचना पर रेसुबल पोस्ट बीना उप निरीक्षक बी.एस.राठौड द्वारा गाडी संख्या 18238 छत्तीसगढ एक्सप्रेस के एस–6 कोच मे गैस सलेन्डर ले जाते हुए रेखा रानी पत्नी बीरबल कुम्हार उम्र 46 वर्ष निवासी जलवाला खनूर जिला होशियारपुर (पंजाब) हाल ज्वारासिरसा पुलिस थाना पुलगांव दुर्ग (छत्तीसगढ) को पकड़ा। महिला द्वारा अपराध स्वीकार करने पर महिला आरोपी के विरुद्ध रेसुबल पोस्ट बीना पर अपराध क्रमांक 1822/15 धारा 164 रेल अधिनियम के तहत बीना पोस्ट पर मामला पंजीकृत कर जांच मे लिया गया है।

c. दिनांक 08.09.2015 मंसुनि कक्ष भोपाल द्वारा ट्रेक पर पेंडिल क्लिप चाबिया रखे होने की सूचना पर रेसुबल पेास्ट हबीबगंज से सउनि कुंवर सिंह हमराह स्टाफ आरक्षक राजू लाल के साथ घटना स्थल किमी नंबर 826/27 से डाउन लाइन से चैक करते हुये किमी नंबर 827/0 तक गये तथा किमी नंबर 826/13 पर एक बालक मिला पूछताछ किया तो उसने अपना नाम भानि पतरोल पुत्र मोहन पतरोल उम्र 11 वर्ष निवासी सरस्वती नगर झुग्गी बस्ती बाबडिया कला रोड भोपाल बताया और उसने बताया कि रेल पटरी की चाबी पटरी पर नही रखा मै पटरी–पटरी जाते समय 2–3 छोटे गिट्टी रख दिया था। बाद बालक की बहिन को बुलाकर उसके द्वारा गारंटी ली कि वह अपने भाई को रेल पटरी पर दुबारा नही जाने देंगी। उसकी बहिन के सामने बालक को समझाईस दिया कि दोबारा पटरी पर नही आना। बाद उक्त बालक को उसकी बहिन को सुपुर्द किया गया।

d. दिनांक 08.09.2015 को रेसुबल पोस्ट पर एसएचओ/जीआरपी ने मोबाईल नंबर 09781130237 से सूचना दिया कि दिनांक 08.09.2015 को गाडी संख्या 12716 के कोच बी–3 के बर्थ नंबर 06 मे एक युवक यात्रा कर रहा है जो कि घर से भाग कर जा रहा है। उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक एम.एस.पटेल स्टाफ के साथ उक्त गाडी को अटेंड किया तो बर्थ नंबर 06 पर यात्रा कर रहे युवक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम लख्खा सिंह पुत्र धरम सिंह नागरा उम्र 23 साल निवासी ग्राम इकोलाही तहसील खन्ना जिला लुधियाना पंजाब बताया जो कि एसएचओ/जीआरपी अमृतसर द्वारा बताया गया था। युवक द्वारा मोबाईल नंबर 09646439039 बताया उसके परिजनो से मोबाईल फोन पर बात कराने पर परिजनो द्वारा उक्त युवक उनका लडका होना बताया व उसे यही रोक कर रखने को कहां गया। बाद युवक को आरपीएफ थाना भोपाल लाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 09.09.15 को लख्खा सिंह के बहनोई देवेन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह उम्र 30 साल ग्राम रुडकी खुर्द तहसील मलेर कोटला जिला संगरुर पंजाब मोबाइल नंबर 09876023442 अपने दो साथी नमप्रीत भार्मा व नरदीप सिंह के साथ आरपीएफ पोस्ट भोपाल आये तथा युवक की पहचान करने पर वह उन्ही का साला है बताया बाद उनकी आईडी प्रूफ की छायाप्रति लेकर दो गवाहो के समक्ष सुपुर्दगीनामा के तहत युवक की सहमति पर उसे समक्ष गवाहन युवक के बहनोई देवेन्द्र सिंह को पाक साफ हालत मे बिना किसी ि ाकवा ि ाकायत के सुपुर्द किया गया।

e. दिनांक 16.09.2015 को रात्रि के समय करीबन 02.00 बजे भोपाल स्टे ान मेन गेट पर टिकिट चेकिंग डियूटी पर तैनात टीटीई द्वारा चेकिंग के समय एक बालक व एक बालिका को बिना टिकिट पकड़ा गया, इसके लिये दोनो का यात्रा अधिभार 780/रु अदा करने के लिये कहा गया, दोनो ने पैसा नही होना एवं घर से भागकर आना बताया, जिस पर टीटीई ने दोनो को रेसुब पोस्ट भोपाल पर सउनि आर के बौरा ी को सुपुर्द किया। सउनि द्वारा पूछताछ

करने पर बालक ने अपना नाम जी ाान पुत्र श्री अफजल कुरै ाी उम्र 17 साल निवासी आगरा फोर्ट उप्र, एवं बालिका ने अपना नांम नेहा पिप्पल पुत्री मुरारी लाल उम्र 16 साल निवासी आगरा फोर्ट उप्र। जिस पर सउनि ने दिनांक 16.09.15 को उक्त बालक/बालिका के पिता एवं उत्तर प्रदे ा पुलिस स्टाफ उपनिरीक्षक श्री अनुज मलिक साथ 02 स्टाफ थाना मंटोला, तथा उपनिरीक्षक श्री सोहन बीर सिंह थाना कोतवाली आगरा उपस्थित हुये व बताये कि दोनो के परिजनो द्वारा थाने पर गुम ादगी की सूचना दी गई थी, इसी दौरान आरपीएफ से प्राप्त सूचना के आधार पर परिजनो के साथ आये है। पोस्ट पर दोनो के परिजनों द्वारा उनके पुत्र व पुत्री की पहचान की गई, तथा वह पुलिस के साथ ही अपने बच्चो को लेकर वापस जाना चाहते थे। अतः उपरोक्त बालक व बालिका को परिजनों के समक्ष उप निरीक्षक श्री सोहन बीर सिंह थाना कोतवाली आगरा सुपर्द किया गया है।

f. दिनांक 12.09.2015 को गाड़ी संख्या 12618 मंगला एक्सप्रेस के बी–1 कोच में झांसी से कुन्नूर की यात्रा कर रहे यात्री राजे ा कुमार पुत्र स्व. के. नारायण आयु 39 साल निवासी–ग्राम कुट्टीयाटुर, पोस्ट चट्टुकाट्टारा, थाना इरीकुर, जिला कन्नूर केरल, भोपाल स्टे ान पर खाना–पानी लेने के लिए उतरे थे तथा गाड़ी चलने पर चढ़ नहीं पाएं। उक्त यात्री का एक ट्राली बैग व 01 छोटा बैग गाड़ी में ही छूट गया था, जिसकी सूचना उसने रेल सुरक्षा बल भोपाल पोस्ट पर दी, जहॉ से इटारसी पोस्ट को सूचना मिला। उक्त सूचना पर उप निरीक्षक विजय सिंह द्वारा उक्त यात्री का सामान उतारवार कर उक्त यात्री को सुपुर्द किया गया।

g. दिनांक 19.09.2015 को समय 03.00 बजे इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म 01 पर कुम्भ मेला स्पे ाल खड़ी थी, वही पास ही प्लेटफार्म पर एक नाबालिक लड़की अकेली व घबरायी हुई घूम रहीं थी, जिसे सउनि कमल सिंह यादव द्वारा उक्त लड़की को डिप्टीएसएस इटारसी के साथ महिला प्रतीक्षालय में श्रीमति ममता यादव की देखरेख में बैठाया गया। उक्त बच्ची ने अपना नाम रिन्की त्रिवेदी बताया तथा उसके भाई से सम्पर्क कर उक्त बच्ची के बारे में बताया गया। बाद उक्त बच्ची का भाई उपस्थित हुआ, जिसे उक्त बच्ची को सुपुर्द किया गया।

h. दिनांक 05.09.15 को रेसुबल मंसुनिकक्ष भोपाल की सूचना पर रेसुबल पोस्ट इटारसी से उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी द्वारा गाडी संख्या 51157 भूसावल इटारसी पैसेन्जर को प्लेटफार्म न0 06 पर अटैण्ड किया गया। एक महिला मीनू पति आनन्द पाल उम्र 23 वर्ष अपने 03 बच्चो के साथ प्लेटफार्म न0 06 पर मिली उक्त महिला से पूछताछ किया तो उसने बताया कि उसका पति आनंद पाल पीछे किसी स्टेशन पर छूट गया है बाद महिला और बच्चो को लेकर रेसुबल/इटारसी पोस्ट लेकर आये बाद उक्त महिला के पति आनंद पाल को मो0 न0 9096206754 पर सम्पर्क कर सूचित किया गया एवं कुछ समय पश्चात आनंद पाल रेसुबल/इटारसी पोस्ट आकर अपनी पत्नी एवं बच्चो को पहचाना तथा उक्त महिला द्वारा भी उसे अपना पति होना बताया। बाद दो स्वंतत्र गवाहो के समक्ष उक्त महिला और उसके 03 बच्चो को उसके पति आनंद पाल को सुपूर्द किया गया।

i. दिनांक 06.09.15 को समय लगभग 22:00 बजे रेलवे स्टे ान इटारसी स्टे ान के पीएफ नं.02 पर सउनि.कमल सिंह को एक बालक उम्र लगभग 14–15 साल लावारिस हालत मे मिला। देखने पर घर से भागा हुआ प्रतीत होने पर उससे पूछताछ किया तो उसने अपना नाम वसीम अकरम पुत्र श्री मकबूल बताया जो कि हिन्दी ठीक से नहीं समझ पा रहा था बंग्ला भाषा जानता था। उसकी जेब में एक मोबाइल नंबर की पर्ची मिली जिस पर उसके पिता का मो.नं. 07407363055 अंकित था उक्त के संबंध में सउनि कमल सिंह यादव द्धारा बालक के पिता को सूचना दी गई बाद जीवोदय संस्था इटारसी में फोन कर बालक के पिता के आने तक रखने के लिये बोलकर समय 22:30 बजे संस्था के केअर टेकर श्री तेजपाल सिंह राजपूत को सउनि कमल सिंह यादव द्धारा सुपुर्द किया गया।

j. दिनांक 28.09.2015 को डिप्टी एसएस भोपाल से प्राप्त सूचना कि गाडी क्रमांक 11463 सोमनाथ जबलपुर एक्स.के एस 05 के बर्थ 12 पर एक यात्री का बेग छूट गया है। उक्त सूचना पर रेसुबल पोस्ट इटारसी पोस्ट से उप निरीक्षक विजय सिंह व प्रधान आरक्षक ललित सारस्वत इटारसी द्वारा गाडी अटेन्ड कर यात्री का सामान उतारकर यात्री आर पी तिवारी पुत्र भैयादयाल तिवारी पीएनआर 8639854779 अहमदाबाद से जबलपुर भोपाल उतरने पर उसकी गाडी छूट गई थी का सामान यात्री के इटारसी आने पर समक्ष गवाहान उक्त यात्री के बेग को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द किया।

k. जबलपुर पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 01.09.2015 को गाड़ी संख्या 12149 डा. पुणे–पटना एक्स. में इटारसी से जबलपुर तक स्कॉटिंग डियूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक द ान सिंह व आरक्षक विजय बाबू यादव को गाड़ी में दौराने गस्त स्लीपर कोच क्रमांक एस/11 की बर्थ नंबर 46 पर यात्रा कर रही महिला यात्री सविता चिन्ता जादव निवासी पिपले, पुरे, पुणे, 61, पिपरी चिंचवारा, थाना पूना, जिला पूना, ने बताया कि एक लड़का जो मेरी बगल वाली सीट पर लेटा था मेरा पर्स जिसमें 500–500 के 08 नोट कुल 4000/–रू. नगद पेन कॉर्ड, आधार कॉर्ड था, लेकर चला गया है उसी दौरान एक अन्य महिला यात्री ने बताया कि एक लड़का बहुत देर से लेट्रिन में घुसा है जिस पर उक्त दोनों स्टॉफ ने लेट्रिन का दरवाजा खटखटाया तो एक लड़का बाहर निकला जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिने ा वि वकर्मा पुत्र नंन्सूलाल, निवासी जबलपुर बताया तथा अपने पास नगद 250/–रू. होना

बताया बाद उक्त लड़के की समक्ष गवाहन तला ी लेने पर उस लड़के के पास उक्त महिला के बताये अनुसार नगद रूपये व कागजात मिले, जिसे उक्त महिला को दिखाने पर महिला ने उक्त नगद रूपये व कागजात को पहचानने पर उक्त घटना की सूचना तत्काल मंडल सुरक्षा नियत्रंण कक्ष/जबलपुर में देने पर गाड़ी के जबलपुर आगमन पर गोपाल मीणा, उपनिरीक्षक, रेसुब जबलपुर तथा के ाीवराम वाणी व रघुवर प्रसाद, प्रधान आरक्षक/जीआरपी/जबलपुर द्वारा गाड़ी को अटैण्ड किया गया बाद उक्त पकड़े गये आरोपी को पाक–साफ हालत में मय मिले नगद रूपये व कागजात के जीआरपी, जबलपुर के स.उ.नि. श्री के.एल.पाण्डेय को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। उक्त मामले में जीआरपी/पिपरिया द्वारा अ.क्र. 4/15 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी के तहत मामला कायम किया गया।

l. सागर पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 04.09.15 को पथरिया स्टे ान पर जुर्म की रोकथाम डियुटी में तैनात आरक्षक जयपाल सिंह रेसुव सागर ने गाडी क्र. 22181 गोडवाना एक्सप्रेस के पथरिया स्टे ान आगमन समय 19.00 बजे गाडी को अटैण्ड किया तो जनरल कोच से एक यात्री (फरियादी) भूपेन्द्र कुमार ने आरक्षक को उसका सेमसंग गैलेक्सी टैब 03 मोबाईल चोरी होना बताया। आरक्षक द्वारा तुरन्त तत्परता दिखाते हुए उक्त व्यक्ति के साथ संदिग्ध आरोपी की तला ा पथरिया स्टे ान पर की गयी। तला ा के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ किया तो उसने अपना नाम हल्लू उर्फ रवि पिता मिट्ठूलाल कोरी उम्र 32 बर्ष सा. सूबेदार मौहल्ला थाना मोतीनगर जिला सागर बताया। पूछताछ करने पर उसने मोबाईल चोरी करना स्वीकार किया तथा उक्त मोबाईल की बरामदगी की गयी। फरियादी द्वारा जीआरपी थाना सागर में लिखित फरियाद दिया जिसमें एक सेमसंग गैलेक्सी टैब 03 मोबाईल कीमत 17500 रू. की चोरी/बरामदगी होना बताया। फरियादी की लिखित फरियाद व रेसुव थाना तहरीर पर जीआरपी सागर में अ.क्र. 127/15 धारा 380 आईपीसी दिनॉक 04.09.15 दर्ज कर मामला जॉच में लिया गया। मामले की जॉच प्र.आर. मोहन सिंह जीआरपी सागर द्वारा की जा रही है। जीआरपी सागर द्वारा उपरोक्त आरोपी को दिनॉक 05.09.15 को सीजेएम सागर के समक्ष न्यायिक कार्यवाही हेतु पे ा किया गया है।

m. सतना पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 10.09.2015 को आरक्षक श्री एस सी नौटियाल की ड्यूटी ट्रेन नं. 51765 डीएमयू मे 07 रिक्रूट आरक्षक नरेश सिंह, मोहनदास, आशीष कुमार, कृष्ण कुमार, मुकेश कुमार, नबाब व नरेश सिंह के साथ एसीपी की रोकथाम हेतु सतना से मझगवां तक लगाया गया था। स्कार्टिंग ड्यूटी के दौरान जैतवार चितहरा के मध्य गाड़ी के जनरल कोच No WC 92411 मे यात्रा कर रहे यात्री इन्द्र कुमार आत्मज राजाभैया शिवहरे उम्र 40 वर्ष निवासी मझगवां जिला सतना को ब्लड की उल्टियां व सीने मे दर्द होने से तबियत ज्यादा खराब होने पर आरक्षक श्री एस सी नौटियाल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये रिक्रूट आरक्षकों से तुरंत डिप्टीएसएस कार्यालय मझगवां से स्ट्रेचर लेकर स्वयं बीमार यात्री को आटो रिक ाा करके सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र मझगवां मे उपचार हेतु भर्ती करवाया गया तथा उसके परिजनों को सूचित किया गया है।

n. सतना पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 20.09.15 को गाडी संख्या 15206 डाउन मे मैहर स्टेशन से एक 11 वर्ष का बालक संदिग्ध अवस्था मे पाया गया है, जिसे सतना स्टेशन पर उपनिरीक्षक श्री राहुल रावत ने उतारा पूॅछताछ करने पर उसने अपना नाम अनिकेत पटेल उम्र 11 वर्ष निवासी ग्राम –पोस्ट गौरी थाना शाहपुर जिला रीवा बताया और बताया कि वह अपनी बुआ के घर जो जबलपुर मे रहती है, जाने के लिए रेल्वे स्टेशन आया था परंतु वह भटक गया। बताये अनुसार बालक के परिजनों को सूचना दी गई। आज दिनांक 21.09.15 को रेसुब पोस्ट सतना मे बालक के पिता श्री रतिभान पटेल उम्र 28 वर्ष के आने पर समक्ष गवाहन बालक द्वारा पहचान करने पर बालक को उसके पिता श्री रतिभान पटेल को सुपुर्द किया गया।

o. सतना पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 27.09.15 को उपनिरीक्षक डी.के.पटेल के गस्त के दौरान रेल्वे परिसर सतना समय लगभग 06.30 बजे एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पाये जाने पर पूछताछ की गई जिसमें उसने अपना नाम प्रमोद कोल पिता श्री बैजनाथ कोल उम्र 21 वर्ष निवासी कोलगवां जिला सतना बताया और बताया कि कल दिनांक 26.09.15 को पिताजी से झगडा होने पर वह घर छोड कर मुम्बई भाग जाना चाहता है। पूछताछ करने पर फोन करके जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि किशोर कल दिनांक 26.09.15 को अपने निवास स्थान से लापता है। जिस पर उपनिरीक्षक द्वारा किशोर के पिता को उसके आरपीएफ थाना सतना मे होने की सूचना दी गई। किशोर के पिता श्री बैजनाथ कोल के थाना उपस्थित होने पर किशोर एवं परिजनो द्वारा पहचान करने पर समक्ष गवाहन किशोर को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया।

p. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 636 व्यक्तियों के विरुद्व तम्बाकु अधिनियम (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 1,27,200/– रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

-----0000-----